झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2018

आवश्यक सूचना संख्या–11

दिनांक 20.08.2019

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 03/2018 (नियमित रिक्ति) के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2018 की लिखित परीक्षा के आधार पर अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जाँच परीक्षा दिनांक 19.08.2019 से दिनांक 23.08.2019 तक आयोजित की गई है।

2. उक्त विज्ञापन से सम्बद्ध विवरणिका की कंडिका–9.2 (घ) के आलोक में लिखित एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की वाहन चालन जाँच परीक्षा दिनांक 03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019, 07.09.2019 एवं 12.09.2019 को जैप–1 ग्राउण्ड, डोरण्डा, राँची में आयोजित होगी जिसका विस्तृत कार्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जायेगा। वाहन चालन जाँच परीक्षा के मापदण्ड निम्नवत् हैं:–

(क) वाहन चालन जाँच परीक्षा 'T' टेस्ट के माध्यम से ली जाएगी जिसमें 'T' आकार के बने घेरे में वाहन को रिवर्स में प्रवेश करा कर रिवर्स में ही घेरा से बाहर निकालना होता है। वाहन चालन जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को निम्न शर्त्तों के अधीन 'T' Type Drive Test पूर्ण करना होगाः–

1. Drive Test का अधिकतम समय हल्का मोटरवाहन के लिए 3 (तीन) मिनट एवं भारी मोटरवाहन के लिए 5 (पाँच) मिनट का होगा।
2. Drive Test के अधीन अधिकतम 09 (नौ) बार ही वाहन के गियर को बदला जा सकेगा।
3. Drive Test के दौरान 'T' घेरा को वाहन का Wheel न छुएगा और न ही पार करेगा।
4. वाहन चालन जाँच परीक्षा के अधीन अभ्यर्थी रिवर्स करते समय Side View Mirror एवं Rear View Mirror का ही प्रयोग करेंगे। पीछे मुड़ कर देखना मना होगा।
5. Drive Test के अधीन वाहन का इंजन बंद होना, हार्न बजाना, गियर बदलते समय गियर में आवाज आना एवं 01 (एक) मिनट से ज्यादा वाहन का खड़ा रखना मना होगा।

(ख) वाहन चालन जाँच परीक्षा के दौरान उक्त शर्त्त/ शर्त्तों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

3. **अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि वाहन चालन जाँच परीक्षण में उत्तीर्ण होना किसी अभ्यर्थी का अंतिम चयन नहीं है। विज्ञापन की सम्बद्ध विवरणिका की कंडिका–10 के आलोक में लिखित परीक्षा, चिकित्सीय जाँच परीक्षा एवं वाहन चालन जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधासूची गठित होगी एवं उक्त मेधासूची के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात् परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। प्रथम चरण में अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों से रिक्तियाँ पूरित नहीं होने की स्थिति में द्वितीय चरण में चिकित्सीय जाँच परीक्षा एवं वाहन चालन जाँच परीक्षा हेतु अन्य अभ्यर्थियों को आयोग आवश्यकतानुसार अल्पसूचीबद्ध कर सकता है।**

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।